

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालन्दा (चण्डी) के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृत योजना लागत रु. 4657.57 लाख (छियालीस करोड़ संतावन लाख संतावन हजार रुपये) मात्र की पुनरीक्षित योजना लागत रु. 6845.50 लाख (अड़सठ करोड़ पैतालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष राशि रु० 2462.97 लाख (चौबीस करोड़ बासठ लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3293, दिनांक-30.08.2023 के द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालन्दा (चण्डी) के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृत योजना लागत रु. 4657.57 लाख (छियालीस करोड़ संतावन लाख संतावन हजार रुपये) मात्र की पुनरीक्षित योजना लागत रु. 6845.50 लाख (अड़सठ करोड़ पैतालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल रु. 3564.00 लाख (पैंतीस करोड़ चौसठ लाख रुपये) मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त की गई थी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना का पत्रांक-2290/AC, दिनांक-29.04.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि रु० 2382.53 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना की राशि को वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा 31.03.2024 को रु० 1181.47 लाख सरकार के Consolidated Account (Fund Lapsed Amount) का विपत्र कोड- 00-2075-00-911-0002-00-01 में वापस ले लिया गया है। इस प्रकार संशोधित पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध (रु० 6845.50 लाख - रु० 2382.53 लाख) कुल रु० 4462.97 लाख मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त किया जाना शेष है।

3. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2015, दिनांक-29.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु० 2000.00 लाख (बीस करोड़ रुपये) मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त किया जा चुका है तथा शेष राशि रु० 2462.97 लाख (चौबीस करोड़ बासठ लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त किया जाना है।

4. राज्य सरकार ने उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष राशि रु० 2462.97 लाख (चौबीस करोड़ बासठ लाख सनतानवे हजार रुपये) मात्र आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग सं०-43 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष -105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष -0102- पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 53 01- मुख्य निर्माण कार्य, विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से की जाएगी, जिसका विपत्र कोड 43-4202021050102 है।
6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा राशि CFMS प्रणाली से आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के नाम से पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा, जिसका विवरणी निम्नवत् है-
 - a) Old P.L. Deposit Account Number- PLA268
 - b) Deposit Account Number- PBBPLA012
 - c) Receipt HoA- 8448001200029
 - d) Payment HoA- 8448001200029
8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागके लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
9. राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली 2005 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि., दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृ० 147/टि० पर प्राप्त है।
11. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा. (III) यो.-15/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा. (III) यो.-15/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-वि.प्रा. (III)यो.-15/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा. (III)यो.-15/2016-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालन्दा (चण्डी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा. (III)यो.-15/2016-

212

/पटना, दिनांक-14/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/1/25

अपर सचिव